

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

सं०-05/स्था०(आरोप)-03/2014...../

पटना, दिनांक

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-389 दिनांक 22.01.2014 द्वारा श्री गौतम कुमार, मोटरयान निरीक्षक, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त मोटरयान निरीक्षक अरवल के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किये जाने संबंधी आदेश को समाप्त किया जाता है।

श्री पार्थ सारथी मोटरयान निरीक्षक अरवल को उपार्जित अवकाश के उपयोग के पश्चात् दिनांक 21.02.2014 के प्रभाव से दिये गये योगदान को स्वीकृत किया जाता है।

श्री पार्थ सारथी पूर्ववत् मोटरयान निरीक्षक, अरवल के कार्यों का सम्पादन करेंगे।

ह०/-


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1870

पटना, दिनांक 25/03/2014

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/अरवल/श्री गौतम कुमार, मोटरयान निरीक्षक, गया/श्री पार्थ सारथी मोटरयान निरीक्षक, अरवल/आई०टी०, मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।